राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या ..974/2016, 975/2016, 976/2016 एवं 977/2016 .....जिला.....कोटा.....

उनवान – मैसर्स एलमास कंस्ट्रक्शन कम्पनी, सुकेत, कोटा बनाम् उपायुक्त (प्रशासन), कोटा।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
06.09.2017	**एकलपीठ** **श्री मदनलाल मालवीय, सदस्य** पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक श्री विवेक सिंघल एवं विद्वान उप राजकीय अभिभाषक श्री अनिल पोकरणा उपस्थित। अपीलार्थी द्वारा ये चारों अपीलें उपायुक्त (प्रशासन), वाणिज्यिक कर, कोटा (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा आदेश दिनांक 05.08.2010 एवं 21.03.2016 के विरूद्ध कर निर्धारण वर्ष 2002–03 एवं 2003–04 के संबंध में प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 34 सपठित धारा 38 के तहत् प्रकरण एक बार Reopen होने के पश्चात् पुनः Reopen करने हेतु मना करते हुए अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को अस्वीकार किया है। इन सभी चारों प्रकरणों में विवादित बिन्दु समान होने से चारों अपीलों का निस्तारण एक संयुक्तादेश से किया जाकर निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक–पृथक रखी जा रही है। प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वाणिज्यिक कर अधिकारी वर्क्स एवं लीजिंग टैक्स, कोटा (जिसे आगे **"सशक्त अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी का कर निर्धारण दिनांक 16.08.2007 को किया गया। जिसके विरूद्ध अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष दिनांक 13.06.2008 को प्रकरण पुनः Reopen करवाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसे अपीलीय अधिकारी अपने आदेश दिनांक 05.08.2010 द्वारा स्वीकार किया गया। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा कर निर्धारण आदेश की प्रति प्राप्त नहीं होने के फलस्वरूप दिनांक 09.02.2016 को प्रमाणित प्रति प्राप्त की है, तथा प्रकरण को पुनः Reopen करवाने हेतु अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिसे मेन्टेनेबल नहीं मानते हुए अपीलीय अधिकारी ने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों को अस्वीकार कर दिया। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से क्षुब्ध होकर यह अपीलें प्रस्तुत की गई है। उभयपक्षों की बहस सुनी गई। लगातार.....2	

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या ..974/2016, 975/2016, 976/2016 एवं 977/2016 .....जिला.....कोटा.....

उनवान – मैसर्स एलमास कंस्ट्रक्शन कम्पनी, सुकेत, कोटा बनाम् उपायुक्त (प्रशासन), कोटा।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
06.09.2017	–2– अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अधिवक्ता ने अपील आधारों का समर्थन करते हुए कहा कि सशक्त अधिकारी द्वारा उन्हें बिना नोटिस दिये कर निर्धारण की कार्यवाही की है, एवं उन्हें सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया है, अतः अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपीलों को स्वीकार कर प्रकरणों को पुन Reopen किये जाने का निवेदन किया। प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने बताया कि अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी के प्रकरणों को एक बार Reopen किया जा चुका है, अतः उसी प्रार्थना पत्र को पुनः Reopen किया जाना मेन्टेनेबल नहीं होने से अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपीलों को अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया। उभयपक्षों की बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया। रेकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलीय अधिकारी द्वारा एक बार अवसर दिये जाने के पश्चात् भी अपीलार्थी द्वारा सशक्त अधिकारी के समक्ष कोई उपस्थित नहीं हुआ, परन्तु न्यायहित में व्यवहारी को सुनवाई का समुचित अवसर दिये जाने के पश्चात् ही कर निर्धारण आदेश पारित किया जाना उचित होगा। अतः अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत चारों अपीलें स्वीकार की जाकर अपीलार्थी व्यवहारी को आदेश दिये जाते है कि वे उक्त प्रकरणों से संबंधित कर निर्धारण वर्ष 2002–03 एवं 2003–04 के सम्पूर्ण रेकॉर्ड मय लेखापुस्तकों के सशक्त अधिकारी के समक्ष दिनांक 07.11.2017 को पेश हो, साथ ही सशक्त अधिकारी को भी निर्देश दिये जाते है कि अपीलार्थी व्यवहारी के उक्त प्रकरणों को Reopen कर अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुनः कर निर्धारण आदेश पारित करें। निर्णय सुनाया गया। सदस्य 6/9/17 राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर	